

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 482 / 15

संस्थापन दिनांक:-18 / 08 / 15

फाईलिंग नं. 233504003672015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. रामराज पिता भग्गु गुजरे, उम्र 54 वर्ष
2. पंकज पिता रामराज गुजरे, उम्र 35 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम अम्बाड़ा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.05.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26.07.2015 को शाम करीब 05:00 बजे कैलाश पटेल के घर के पास अम्बाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी हीरालाल को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी हीरालाल को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी हीरालाल को रॉड एवं लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 26.07.2015 को शाम पांच बजे केशर पर जा रहा था। तभी कैलाश पटेल के घर के सामने उसे अभियुक्तगण मिले जिनसे उसने कहा कि उसके खेत पर से क्यों मवेशी निकालते हो उसका नुकसान होता है। इसी बात पर से अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दी। अभियुक्त पंकज ने उसे लोहे की रॉड से बांये पैर की जांघ पर पीठ पर मारा जिससे उसे चोट आयी तथा रामराज ने थप्पड़ मुक्के से मारपीट की। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से निपटाने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 404/15 पंजीबद्ध किया

गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त रामराज से एक सूखी लकड़ी एवं अभियुक्त पंकज से एक लोहे की रॉड जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी हीरालाल को रॉड एवं लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 हीरालाल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मां बहन गंदी गंदी गालियां दी थी। साक्षी गीता (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने हीरालाल को गालियां दी थी। रविदास (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण ने उसके पिता को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी।

6 साक्षी/फरियादी हीरालाल (अ.सा.-2), साक्षी गीता (अ.सा.-3) तथा रविदास (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 साक्षी हीरालाल (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में साक्षी रविदास (अ.सा.-4) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी हीरालाल (अ.सा.-2) एवं रविदास (अ.सा.-4) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 हीरालाल (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त पंकज ने बांये पैर पर लोहे की रॉड से और अभियुक्त रामराज ने पीठ और कमर पर लाठी से मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। गीता (अ.सा.-3) ने उपर्युक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि अभियुक्त पंकज ने उसकी भाई हीरालाल को लोहे की रॉड से पैर पर तथा अभियुक्त रामराज ने लकड़ी से मारपीट की थी। रविदास (अ.सा.-4) ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्त पंकज ने लोहे की रॉड से एवं अभियुक्त रामराज ने लकड़ी से उसके पिता के साथ मारपीट किया था।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-1) ने दिनांक 26.07.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत हीरालाल का परीक्षण किये जाने पर उसकी बांयी जांघ पर 5 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं पीठ में 5 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था जिसके लिए उसने आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी हीरालाल (अ.सा.-2) गीता (अ.सा.-3) एवं रविदास (अ.सा.-4) के कथनों से आहत हीरालाल को अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 रमा मसराम (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 26.07.2015 को चौकी बोड़खी में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 404/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 28.07.2015 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-3) एवं दिनांक 29.07.2015 को अभियुक्त रामराज से एक सूखी लकड़ी एवं अभियुक्त पंकज से एक लोहे की रॉड जप्त कर प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्तगण रामराज एवं पंकज को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में साक्षी गीता एवं रविदास फरियादी के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है जिससे कि अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी सुशांत (अ.सा.-5) ने अपने समक्ष अभियुक्तगण से जप्ती एवं उनकी गिरफ्तारी से इनकार किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियुक्त से अपने समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी से इनकार किया है। न्यायाल के मत में मात्र साक्षी के द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में ही अन्य अभियोजन साक्षी गीता एवं रविदास फरियादी के परिवार के हैं परंतु मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।

14 हीरालाल (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना शाम 05:00 बजे की ग्राम अंबाड़ा में कैलाश पटेल के घर के सामने की है। घटना के समय वह नीटू अरोरा की केशर में जा रहा था तभी अभियुक्तगण मिले और उसने अभियुक्तगण से कहा कि तुम मेरी जमीन पर मवेशी चरा रहे हो नुकसान हो रहा है, इसी बात पर से अभियुक्त पंकज ने बांये पैर पर लोहे की रॉड से और अभियुक्त रामराज ने लाठी से पीठ व कमर पर मार दिया। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि गीता और रवि ने बीच बचाव किया था। फिर उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। गीता (अ.सा.-3) एवं रविदास (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त पंकज ने लोहे की रॉड से हीरालाल को बांये पैर पर और अभियुक्त रामराज ने लकड़ी से मारपीट किया था जिससे हीरालाल को चोटें आयी थीं। फिर वह हीरालाल को साथ लेकर थाने आ गये थे।

15 हीरालाल (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मवेशी चराने की बात पर से दोनों पक्षों का विवाद हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त के पास लोहे की रॉड नहीं थी और यह भी गलत होना बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। गीता (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर थी और जैसे ही आवाज आयी तो वह मौके पर पहुंची थी। साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जब वह मौके पर पहुंची तब अभियुक्तगण एवं फरियादी के बीच लामा झूमी चल रही थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त पंकज के हाथ में लोहे की रॉड थी और रामराज के

हाथ में लकड़ी थी। रविदास (अ.सा.-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर था और जैसे ही आवाज आयी तो वह दौड़कर मौके पर पहुंचा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके पिता हीरालाल ने अभियुक्तगण के द्वारा जानवरों को खेत पर चराने की रंजिश होने से रिपोर्ट लेख करायी थी। स्वतः में साक्षी ने यह बताया है कि मारा ठोकी की थी तभी रिपोर्ट लिखायी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने घटना होते नहीं देखी थी। स्वतः में कहा है कि देखी थी, जैसे ही आवाज आयी मौके पर पहुंचा और बीच बचाव किया था।

16 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 26.07.2015 की शाम के 07:00 बजे की है तथा फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही लगभग 08:00 बजे लेख करा दी गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। स्पष्टतः फरियादी के द्वारा बिना विलंब किये रिपोर्ट लेख करायी गयी है। साक्षी हीरालाल (अ.सा.-2), गीता (अ.सा.-3), रविदास (अ.सा.-4) के कथनों में कोई भी विरोधाभास नहीं हैं। उपर्युक्त साक्षीगण अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर हैं। आहत हीरालाल की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। आहत के द्वारा तत्काल पश्चात रिपोर्ट लेख कराये जाने से अभियुक्तगण को मिथ्या आलिप्त कराये जाने की संभावना भी परिलक्षित नहीं हो रही है।

17 अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी की एक साथ लोहे एवं लकड़ी से मारपीट की जाना फरियादी को उपहति कारित किये जाने के सामान्य आशय को दर्शित करता है तथा उनका कृत्य सामान्य आशय के अग्रशरण में कारित किया जाना प्रकट होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी पर लोहे की रॉड एवं लकड़ी से प्रहार कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

18 अभियुक्तगण का एक साथ मिलकर फरियादी की लकड़ी तथा रॉड से मारपीट की जाना उनके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसे तथ्य नहीं हैं कि फरियादी के द्वारा अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हीरालाल को लोक स्थान या उसके समीप

अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी हीरालाल को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी हीरालाल को रॉड एवं लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण रामराज एवं पंकज को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

20 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

21 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा दोनों अभियुक्तगण आपस में पिता-पुत्र हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में लकड़ी एवं रॉड से मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

22 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ लकड़ी एवं रॉड से सीधा प्रहार कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। आहत को आयी चोटों के लिए एक्सरे हेतु रेफर भी किया गया था, इस प्रकार निश्चित ही अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य अत्यन्त गंभीर है। अपराध कारित करते समय

अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

23 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम में रहने वाले हैं। अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य की गंभीरता एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये छह-छह माह के सश्रम कारावास एवं 300/-300/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 10-10 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

24 प्रकरण में जप्तशुदा एक सुखी लकड़ी एवं एक लोहे की रॉड अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

25 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत हीरालाल पिता अन्तू नरवरे, निवासी अम्बाड़ा, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

26 अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उनका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)